FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

त — उपखण्ड अधिकारी — मुकाम — झुंझुनूं

रोशन पुत्र सफी मोहम्मद जाति कौम **बनाम** नत्थू पुत्र लाल जाति कौम

नं. 148/2020 सन्

दमा — दावा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.3.22	आज यह पत्रावली बाबत प्रा०-पत्र 07 R11 CPC निस्तारित 14/2/22 के आदेश हेतु पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया प्रतिवादी सं० 6, 8, 16, 17 ने दिनांक 25.3.2021 को एक प्रार्थना-पत्र अ० धारा 11 व आदेश 7 नियम 11 व 151 जा० दीवानी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 15-1-1988 को एक दावा बाबत घोषणा व बंटवारा, सबी, रमजान, हकीम पुत्र सफी व हाजरा बेवा सफी ने लाला पुत्र कमरुद्दीन को प्रतिवादी बनाते हुए आराजी गत ख० नं० 131/1, रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा, ख० नं० 179 रकबा 21 बीघा कुल रकबा 32 बीघा 12 बिस्वा बाबत उक्त दावा प्रस्तुत किया जिसके मुकदमा नं० 19/88 है। उक्त दावा दिनांक 25.4.88 को निर्णीत कर दिया गया। जिसमें आराजी गत ख० नं० 179 के बाबत वादीगण का दावा खारिज कर दिया गया। जिसकी वादीगण द्वारा कोई अपील नहीं की गई। रोशन पुत्र सफी पूर्व दावा में वादी नं०-3 था। जिसने वर्तमान में दावा उनवानी रोशन बनाम नत्थू आदि पेश किया गया। तथा सबी के वारिसान को प्रतिवादी बनाया है तथा पूर्व के दावा व वर्तमान दावा दोनों में एक ही अनुतोष मांगा गया है वादी रोशन उन्हीं तथ्यों के आधार पर पुनः दावा प्रस्तुत नहीं कर सकता। क्योंकि वर्तमान दावा की मद सं० 9 में यह स्वीकृत तथ्य है कि पूर्व के घोषणा एवं बंटवारा का दावा प्रस्तुत किया गया था। जिसको माननीय न्यायालय ने अन्तिम रूप से निर्णीत कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 16.5.88 को पारित होना कथित करते हुए पुनः दावा प्रस्तुत किया है। इसलिये उक्त दावा धारा 11 जा० दी० द्वारा विधि द्वारा वर्जित है क्योंकि पूर्ववर्ती दावा में रोशन के अधिकार निश्चायक रूप से अवधारित कर दिये गये थे। इसलिये रोशन उन्हीं तथ्यों के आधार पर दुबारा दावा नहीं कर सकता। अतः प्रार्थना-पत्र याचीगण/प्रतिवादीगण 6, 8, 16, 17 के द्वारा प्रस्तुत 07 R11 CPC स्वीकार फरमाया जाकर वादी का दावा मय खर्चा- खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया गया है जिसका विरोध करते हुए वकील वादी ने अपने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पूर्ववर्ती दावा सं० 19/88 में —	2 —

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पारित निर्णय दिनांक 25-6-88 की इजरा पालना नहीं हुई है व अन्य आदेश अन्दर मियाद भी नहीं रही है वादी आपने हक होने की घोषित व स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेश के आधार दर्ज कराने के लिए यह दावा पेश किया गया है प्रतिवादीगण के हक हिस्सों पर हक दावा के निर्णित होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस केस आपत्ति/प्रार्थना प्रस्तुत प्रा०पत्र O7 R11 CPC पोषणीय नहीं होने पर खारिज करने का निवेदन किया गया है हमने वाद-पत्र के वर्णित तथ्यों व प्रा०-पत्र O7 R11 CPC प्रतिवादीगण के वर्णित तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए बहस वकील पक्षकारान पर [illegible] किया गया। जिससे स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती वाद सं० 19/88 उमरावजी सवीर बनाम ललाराम वगैरह में अंतिम निर्णय दिनांक 16.5.88 के द्वारा विवादित सम्पत्ति में वादीगण/प्रतिवादीगण के हक हिस्सों की घोषणा कर अंतिम डिक्री पारित की गई थी। अब प्रार्थी (वादी) रोशन के द्वारा पुनः इसी विवादित सम्पत्ति बाबत दावा वास्ते घोषणार्थ, बटवारा बेदखली रिकार्ड दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। सि.प्र.सं. धारा-11 पूर्व न्याय का सिद्धान्त - पूर्ववर्ती वाद में विद्वान न्यायालय द्वारा विरचित - विवाद्यकों पर निष्कर्ष दर्ज करके विवादित सम्पत्ति में वादीगण प्रतिवादीगण के अधिकारों को उनके हक हिस्सों का अंतिम रूप से विनिश्चित किया है जिसने अन्तिमता को अर्जित की - अभिनिर्धारित - उसी विषय को उन्हीं पक्षकारों के मध्य दायर पश्चातवर्ती वाद में नये सिरे से विनिश्चित हेतु नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि यह पूर्व न्याय के सिद्धान्त से वर्जित है इसलिये वादी द्वारा पुनः प्रस्तुत वाद विधि वर्जित होने से खारिज योग्य है। उक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा०-पत्र O7 R11 CPC पोषणीय होने पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः **आदेश** उक्त विवेचन के आधार पर प्रा०-पत्र O7 R11 CPC प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वाद वादी विधि वर्जित होने पर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-2 वहन करेंगे तदनुसार खर्चा डिक्री जारी हो। आदेश आज दिनांक 11.3.22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। [illegible]